कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश,
मेरठ

पत्रांकः– 1027 /मु.अ.गंगा/एन0ओ0सी0 दिनांकः 23-01- 2021

विषयः जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) का नवनिर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता/नोडल ऑफिसर मेरठ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मेरठ के पत्र संख्या–12800/536w-मे0वृ0/21, दिनांक 07.01.2021(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा गंग नहर की दांयी पटरी पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों/शासन स्तर पर हुयी बैठक (उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग–11 का पत्र संख्या–1532ई0/23–11–2019 लखनऊ, दिनांक 11.10.2019) में गंग नहर की दांयी पटरी पर नव निर्माण हेतु डोला उपरान्त 7.00 मी0 पटरी/भूमि (कुल 9.00 मी0) छोडते हुए मार्ग निर्माण की संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त से सम्बन्धित इस कार्यालय के पत्रांक–नि 2616/मु.अ.गं/कांवड सडक, दिनांक 21.12.2017(छायाप्रति संलग्न) द्वारा गंग नहर की दांयी पटरी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्मित किये जाने हेतु पूर्व में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था।

इस सम्बन्ध मे संगठन के नियंत्रणाधीन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ द्वारा उनके अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ता, मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर, मु0नगर व अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ से प्राप्त आख्या के कम में पत्रांक– 593 /प्रथम/एन0ओ0सी0, दिनांक 23.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गंग नहर की दांयी पटरी पर नव निर्माण हेतु डोला उपरान्त 7.00 मी0 पटरी/भूमि (कुल 9.00 मी0) छोडते हुए मार्ग निर्माण की संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को संस्तुति सहित प्रेषित किया हैः–

1– भूमि का पूर्ण स्वामित्व सिंचाई विभाग का होगा।

2– भविष्य में यदि नहर का चौडीकरण अथवा नहर की किसी संरचना हेतु भूमि की आवश्यकता होती है तो लोक निर्माण विभाग को सड़क शिफ्ट का कार्य अपने संसाधनो से करना होगा।

3– उक्त मार्ग पर आवागमन हेतु सिंचाई विभाग स्वंतन्त्र होगा।

4– लेपित मार्ग का निर्माण नहर के दांये बैंक के डोले का स्लोप 1.5:1 रखते हुये, डोले की टो से 7.00 मीटर न्यूनतम क्लीयर दूरी छोड़ते हुये किये जाये।

5– मार्ग के नवनिर्माण कार्य के दौरान प्रयुक्त होने वाली मिटटी विभागीय भूमि एवं नहर के किसी किनारे/भाग से नही उठायी जायेगी।

6– प्रस्तावित कार्य की ड्रांईग कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग से अनुमोदित करानी होगी।

7– सड़क निर्माण के दौरान नहर संरचना को किसी प्रकार की कोई क्षति नही पहुंचनी चाहिये यदि नहरी संरचना को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षतिपूर्ति लोक निर्माण विभाग से वसुली जायेगी।

8– कार्य के दौरान किसी भी असावधानी के कारण नहर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में होने वाली जान माल की क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व लोक निर्माण विभाग का होगा।

9– सड़क के अनुरक्षण का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा अन्यथा की स्थिति में परियोना की लागत का 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष अनुरक्षण हेतु सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

10– नहर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण मान्य नही होगा।

11– मार्ग निर्माण कार्य के दौरान ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे नहर का वाटर वे प्रभावित/अवरूद्व होता हो।

12– नहर मे सड़क से गांव का किसी भी प्रकार का श्राव पानी न डाला जाये।

13– कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से सम्बन्धित खण्डो को अवगत कराना होगा।

14– मार्ग निर्माण पर आने वाला किसी भी प्रकार का व्यय सिंचाई विभाग द्वारा वहन नही किया जायेगा।

15– सड़क निर्माण के दौरान स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त नहरी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कराया जाता है तो डिपोजिट मद में धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

16– ऊपरी गंग नहर की दांयी पटरी पर निर्माण किये जाने वाले मार्ग पर यदि भविष्य में टोल लगाया जाता है तो सिंचाई विभाग के कर्मचारियो के वाहनो को उनके परिचय पत्र के आधार पर टोल मुक्त रखा जायेगा।

17– सिंचाई विभाग की पक्की संरचनाओ यथा वी0आर0बी0, डी0आर0बी0, क्रास रेगूलेटर इत्यादि पर एलाइनमेंट के अनुसार डोले की टो से दूरी ली जायेगी।

18– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धो की अनुपालना न होने की दशा में अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रकरण आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वांछित अनुमति को उपरोक्त प्रतिबंधों एवं शर्तो के अन्तर्गत प्रदान किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

23/01/2021

मुख्य अभियन्ता(गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, मेरठ

23/01/2021

Scanned with CamScanner

पत्रांकः— /मु.अ.गंगा/ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. मुख्य अभियन्ता(पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में ।

मुख्य अभियन्ता(गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, मेरठ

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य, मेरठ

पत्रांक: 593 /प्रथम/कांवड़ शेवा मार्ग, दिनांक: 23/1/2021

विषयः जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंगा नहर की दायी पटरी) का नव निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्र संख्या 246/मुअगंगा/कांवड़ शेवा मार्ग/दिनांक 07.01.2021।

मुख्य अभियन्ता(गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ अधिशासी अभियन्ता मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर व अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ को सम्बोधित है का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके साथ उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-11 के पत्र संख्या -- 1532ई0/23-11-2019 लखनऊ, दिनांक 11.10.2019 के माध्यम से जारी कार्यवृत्त संलग्न कर गंग नहर की दांयी पटरी पर नव निर्माण हेतु डोला उपरान्त 7.00 मीटर पटरी/भूमि (9.00 मीटर) को छोड़ते हुये मार्ग निर्माण की संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण कर संयुक्त आख्या /अभिमत से अवगत कराने हेतु आप द्वारा निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में इस मण्डल के नियन्त्रणाधीन अधिशासी अभियन्ता मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र संख्या 388/मु0ख0ग0न0मु0/ड्राईंग/अनुमति/दिनांक 22.01.2021(छायाप्रति संलग्न) एवं अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ ने अपने पत्र संख्या 455/मेखगंनगें/एन0ओ0सी0/राजकीय/दिनांक 21.01.2021(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अनापत्ति का विषयक प्रकरण निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ संस्तुति सहित प्रेषित किया है।

1- भूमि का पूर्ण स्वामित्व सिंचाई विभाग का होगा।

2- भविष्य में यदि नहर का चौडीकरण अथवा नहर की किसी संरचना हेतु भूमि की आवश्यकता होती है तो लोक निर्माण विभाग को सड़क शिफ्ट का कार्य अपने संसाधनों से करना होगा।

3- उक्त मार्ग पर आवागमन हेतु सिंचाई विभाग स्वतन्त्र होगा।

4- लेपित मार्ग का निर्माण नहर के दांये बैंक के डोले का स्लोप 1.5:1 रखते हुये, डोले की टो से 7.00 मीटर न्यूनतम क्लीयर चौड़ी छोड़ते हुये किये जाये।

5- मार्ग के नवनिर्माण कार्य के दौरान प्रयुक्त होने वाली मिट्टी विभागीय भूमि एवं नहर के किसी किनारे/भाग से नही उठायी जायेगी।

6- प्रस्तावित कार्य की ड्राईंग कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग से अनुमोदित करानी होगी।

7- सड़क निर्माण के दौरान नहर संरचना को किसी प्रकार की कोई क्षति नही पहुंचनी चाहिये यदि नहरी संरचना को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षतिपूर्ति लोक निर्माण विभाग से वसुली जायेगी।

8- कार्य के दौरान किसी भी असावधानी के कारण नहर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में होने वाली जान माल की क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व लोक निर्माण विभाग का होगा।

9- सड़क के अनुरक्षण का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा अन्यथा की स्थिति में परियोजना की लागत का 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष अनुरक्षण हेतु सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

10- नहर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण मान्य नही होगा।

11- मार्ग निर्माण कार्य के दौरान ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे नहर का वाटर वे प्रभावित/अवरूद्ध होता हो।

12- नहर से सड़क को गांव का किसी भी प्रकार का स्राव पानी न डाला जाये।

13- कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से सम्बन्धित खण्डो को अवगत कराना होगा।

14- मार्ग निर्माण पर आने वाला किसी भी प्रकार का व्यय सिंचाई विभाग द्वारा वहन नही किया जायेगा।

15- सड़क निर्माण के दौरान स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त नहरी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कराया जाता है तो डिपोजिट मद में धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

क्रमशः-2-

Scanned with CamScanner

Computer Latter

16— ऊपरी गंग नहर की दांयी पटरी पर निर्माण किये जाने वाले मार्ग पर यदि भविष्य में टोल लगाया जाता है तो सिंचाई विभाग के कर्मचारियो के वाहनो को उनके परिचय पत्र के आधार पर टोल मुक्त रखा जायेगा।

17— सिंचाई विभाग की पक्की संरचनाओ यथा वी0आर0बी0, डी0आर0बी0, क्रास रेगूलेटर इत्यादि पर एलाइनमेंट के अनुसार डोले की दो से दूरी ली जायेगी।

18— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धो की अनुपालना न होने की दशा में अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

उक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में भी अन्य किसी शर्त की आवश्यकता हो तो उसका अपने स्तर से समावेश करना चाहे।

अधिशासी अभियन्ता मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर एवं अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर प्रकरण संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त अनुमति प्रदान करना चाहे।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता
प्रथम मंडल, सिंचाई कार्य,
मेरठ
23/01/21

पत्रांकः 593 /प्रथम/कांवड़ सेवा मार्ग, दिनांकः 23/1/2021

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर को उनके पत्र संख्या 388/गु0ख0ग0न0मु0/ड्राईंग/अनुमति/दिनांक 22.01.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ को उनके पत्र संख्या 455/मेखगंनमें/एन0ओ0सी0/राजकीय/दिनांक 21.01.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षण अभियन्ता
प्रथम मंडल, सिंचाई कार्य,
मेरठ
23/01/21

Scanned with CamScanner